

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
दावा संख्या 27/22 दायरा दिनांक 22.06.2022

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)
मुरारी पुत्र लक्ष्मण जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला-बारां
राज0 वादी

बनाम

- 1-जानकीलाल पुत्र काशीलाल जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 2-शिवचरण पुत्र काशीलाल जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 3-हुकमचन्द पुत्र काशीलाल जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 4-रघुवीर पुत्र काशीलाल जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 5-मुन्नीबाई पुत्री काशीलाल पत्नि कैलाश जाति किराड निवासी रामपुर उपरेटी तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 6-नब्बोबाई पुत्री काशीलाल पत्नि धनराज जाति किराड निवासी रातईखुर्द तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 7-मूलचन्द पुत्र लक्ष्मण जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 8-गब्बोबाई पत्नि मूलचन्द जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 9-दक्खो पत्नि हुकमचन्द जाति किराड निवासी बांसखेडामाल तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 10-पुनियां पुत्री लक्ष्मण पत्नि खेमचन्द जाति किराड निवासी पाजनटोरी तहसील शाहावाद जिला-बारां राज0
- 11-स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955
अन्तिम निर्णय दिनांक- 05.06.2025

उपस्थित

वादी की ओर से - श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से - एकपक्षीय

उक्त उनवानी वाद को स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय दिनांक 02.04.2025 से विवादित आराजी ख0नं0 243 रकबा 0.04 बीघा, 279 रकबा 24.05 बीघा, ख0नं0 343 रकबा 0.07 बीघा, ख0नं0 378 रकबा 1.08 बीघा, ख0नं0 403 रकबा 0.06 बीघा कित्ता 5 रकबा 26.10 बीघा तथा कृषि भूमि ख0नं0 52 रकबा 31.10 बीघा ग्राम बांसखेडामाल कृषि भूमि ख0नं0 31 रकबा 7.08 बीघा ग्राम बालापुरा तथा कृषि भूमि

05.06.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

ख0नं0 4/165 रकबा 4.11 बीघा, ख0नं0 4/166 रकबा 10.18 बीघा, ख0नं0 54/149 रकबा 0.03 बीघा ख0नं0 68 रकबा 0.10 बीघा किता 4 रकबा 16.02 बीघा ग्राम रीठीपुरा तहसील शाहावाद में से वादी हिस्सा 1/5 का विभाजन अच्छी तथा बुरी में से बुरी सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 22.05.2025 को तहसीलदार शाहावाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे वादी ने सही होना स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

ग्राम बांसखेडामाल	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
क.सं.	काश्तकार का नाम				
1-मुरारी पुत्र लक्ष्मण जाति किराड सा. देह		52	7.16 बीघा	बा.2	
रहन मुरारीलाल का हि. 1/5		279	4.13 बीघा	न.माल	
एस.बी.बी.जे. साखा समरानिया					

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
2-संतोषकुमार मनोज पुत्र सीताबाई हल्की		243	0.04 बीघा		
पत्नि स्व.जानकीलाल हि.1/5 शिवचरण		343	0.07 बीघा		
हुकमचन्द रघुवीर पुत्र काशीलाल मुन्नीबाई		378	1.08 बीघा		
नब्बो पुत्रियां काशीलाल हि.1/3 बरा.		403	0.06 बीघा		
मूलचन्द पुत्र लक्ष्मण हि.2/5 मुरारीलाल		279	0.16		
पुत्र लक्ष्मण हि.1/5 कोम किराड सा.देह					
रहन मूलचन्द का हि. 2/5 बी.आर.के.जी.बी. साखा समरानिया रहन मुरारीलाल का					
हि.1/5 एस.बी.बी.जे. साखा समरानिया रहन जानकीलाल शिवचरण हुकमचन्द रघुवीर					
मुन्नीबाई नब्बो का हि.2/5 बी.आर.के.जी.बी. साखा समरानिया					

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
3-संतोषकुमार मनोज पुत्र सीताबाई पुत्री		279	9.07 बीघा		
हल्की पत्नि स्व.जानकीलाल हि.1/6 शिवचरण					
हुकमचन्द रघुवीर पुत्र काशीलाल मुन्नीबाई					
नब्बोबाई पुत्री काशीलाल हि.5/6 कोम किराड					
सा.देह रहन बी.आर.के.जी.बी साखा समरानिया					

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
4-संतोषकुमार मनोज पुत्र सीताबाई पुत्री		52	4.16 बीघा		
हल्की पत्नि स्व.जानकीलाल हि.1/3 शिवचरण					
हुकमचन्द रघुवीर पुत्र काशीलाल मुन्नीबाई					
नब्बोबाई पुत्री काशीलाल हि.2/3 कोम किराड					
सा.देह रहन बी.आर.के.जी.बी साखा समरानिया					

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
5-मूलचन्द पुत्र लक्ष्मण जाति किराड सा. देह		52	12.12 बीघा		

10
25.05.2025
अधिकारी

रहन बी.आर.के.जी.बी साखा समरानिया

279 9.07 बीघा

किता 2 रकबा 21.19 बीघा

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
6-	गब्बो पत्नि मूलचन्द जाति किराड सा. देह	52	3.03	बीघा	

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
7-	मुकेश शिवजी पुत्र मूलचन्द जाति किराड सा. देह	52	3.03	बीघा	

ग्राम बालापुरा

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
8-	दक्खो पत्नि हुकमचन्द हि.4/5 हुकमचन्द पुत्र काशीलाल हि.1/5 कोम किराड सा. बांसखेडामाल दक्खो का हि.4/5 रहन एस.बी.बी.जे. समरानिया	31	7.08	बीघा	

ग्राम रीठीपुरा

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1-	मुरारी पुत्र लक्ष्मण कोम किराड सा. बांसखेडामाल	4/165	0.19	बीघा	डांडा
		4/166	2.07	बीघा	डांडा
			किता 2	रकबा 3.06	बीघा

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
2-	काशीराम पुत्र लक्ष्मण पुनियाबाई पुत्री लक्ष्मण कोम किराड सा. बांसखेडामाल एस.बी.बी.जे. साखा समरानिया	68	0.10	बीघा	न.बा.दोयम
		4/165	1.16	बीघा	डांडा
		4/166	4.02	बीघा	डांडा
			किता 3	रकबा 6.08	बीघा

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
3-	मूलचन्द पुत्र लक्ष्मण कोम किराड सा. बांसखेडामाल	54/119	0.03	बीघा	न.बा.दोयम
		4/165	1.16	बीघा	डांडा
		4/166	4.09	बीघा	डांडा
			किता 3	रकबा 6.08	बीघा

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 243 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 279 रकबा 24.05 बीघा, ख0नं0 343 रकबा 0.07 बीघा, ख0नं0 378 रकबा 1.08 बीघा, ख0नं0 403 रकबा 0.06 बीघा किता 5 रकबा 26.10 बीघा तथा कृषि भूमि ख0नं0 52 रकबा 31.10 बीघा ग्राम बांसखेडामाल कृषि भूमि ख0नं0 31 रकबा 7.08 बीघा ग्राम बालापुरा तथा कृषि भूमि ख0नं0 4/165 रकबा 4.11 बीघा, ख0नं0 4/166 रकबा 10.18 बीघा, ख0नं0 54/149 रकबा 0.03 बीघा ख0नं0 68 रकबा 0.10 बीघा किता 4 रकबा 16.02 बीघा ग्राम रीठीपुरा

मो. 5/06/2025
उपखण्ड अधिकारी

तहसील शाहावाद में से वादी हिस्सा 1/5 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है। वादी का प्रथक खाता कायम कर तरमीम की जावे। वादी को विभाजित हिस्से पर दखल दिया जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

05.06.2025
उपरवाह अधिकारी
शाहावाद